

न्याया:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

समक्ष – वीरेन्द्र सिंह राजपूत

विशेष सत्र प्रकरण क० 125/2012

संस्थापन दिनांक-08-08-2012

म०प्र० म०क्षे०विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड मौ, गोहद
द्वारा- कनिष्ठयंत्री आर.एस. गौर

परिवादी

बनाम

शाकिर अली पुत्र असगर अली, उम्र 45 वर्ष, निवासी गौरियन
टौला मौ, थाना मौ, जिला भिण्ड म०प्र०

अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आरोपी द्वारा श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 12-09-2017 को घोषित किया गया)

01. आरोपी के द्वारा उसे प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2012550 डी.एल. पर विद्युत बिल की राशि बकाया होने से उक्त कनेक्शन को दिनांक 22.12.2011 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु चैकिंग के दौरान दिनांक 11.01.2012 को आरोपी के द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में आरोपी पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)ख का आरोप लगाया है।

02. परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी जो कि म०प्र०म०क्षे० विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मौ, तहसील गोहद में कनिष्ठयंत्री के पद पर पदस्थ था जो कि परिवाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवादी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता सकीला वानो के नाम विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2012550 डी.एल. घरेलू प्रकाश हेतु दिया गया था, जिसका उपयोग आरोपी साकिर

अली के द्वारा किया जा रहा था। उक्त कनेक्शन पर बिल की बकाया राशि रूपए 64,778/- रूपए होने से और बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 07.02.2011 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस भेजा गया। तत्पश्चात् दिनांक 22.12.2011 को उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया और विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश आरोपी को दिया गया। दिनांक 11.01.2012 को दोपहर 01:40 बजे कनिष्ठयंत्री आर.एस. गौर, मुनीष कुमार, जनवेदन सिंह, नारायण सिंह के साथ आरोपी के उक्त कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पया कि आरोपी ने उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः आपराधिकृत रूप से एल.टी. लाइन से सीधे तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाया गया। जिस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवादपत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138(1)ख के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी आर.एस. गौर प0सा0 1, नारायण सिंह प0सा0 2 का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

01. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 11.01.2012 को उपभोक्ता सकीला वानो को प्रदत्त विद्युत कनेक्शन कमांक 2012550 जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था को अप्राधिकृत रूप से पुनः एल.टी.लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था?

02. दण्डादेश यदि कोई हो?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05. प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी आर.एस. गौर प0सा0 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि स्व0 सकीला बानों के कनेक्शन क्रमांक 2012550 पर विद्युत बिल की बकाया राशि होने से नोटिस दिया गया था जो कि लाइन हेल्पर सुनील कुमार जैन को तामीली हेतु दिया गया था, जिसे आरोपी ने लेने से इन्कार कर दिया था। इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसके बाद दिनांक 22.11.2012 को राशि जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया गया था। तत्पश्चात् पुनः 11.01.12 को आरोपी अनाधिकृत रूप से कनेक्शन जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया था।

06. साक्षी नारायणसिंह प0सा0 2 का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह निरीक्षण के लिए कनिष्ठयंत्री आर.एस. गौर के साथ साकिर अली के निवास पर गया था जहाँ कि बिल की बकाया राशि होने के कारण उक्त काटे हुए कनेक्शन को पुनः जोड़कर अनाधिकृत रूप से उपयोग करते हुए पाया गया था।

07. प्रकरण में परिवादी की ओर से यह आधार लिया गया है कि विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2012550 सकीला वानो को घरेलू उपयोग के लिए दिया गया था। ऐसी स्थिति में परिवादी का यह मामला है कि आरोपी विधिवत विद्युत कनेक्शन धारित नहीं करता था। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि सकीला वानो के नाम पर जारी विद्युत कनेक्शन का उपयोगकर्ता आरोपी को बताया गया है। साक्षी आर.एस. गौर प0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि विद्युत बिल की बकाया राशि होने से कनेक्शन काटने हेतु नोटिस तामील हेतु लाइन हेल्पर सुनील कुमार जैन को दिया था, किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में परिवादी की ओर से सुनील जैन को साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी आर.एस. गौर प0सा0 1 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि कनेक्शन काटने की सूचना की तामील हेतु

नोटिस सहायक लाइन हेल्पर लक्ष्मण को दिया गया था, किन्तु परिवादी की ओर से लक्ष्मण को भी साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है।

08. प्र.पी. 1 व 2 के नोटिस जो कि विद्युत कनेक्शनधारी शकीला वानो को जारी किए गए हैं, किन्तु वह किस व्यक्ति को तामील कराया गया, इस संबंध में तामील कराने वाले व्यक्ति की साक्ष्य का अभाव है।

09. साक्षी आर.एस. गौर प0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि सकीला वानो की मृत्यु हो गई है, किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस साक्षी का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि सकीला के मकान में शाकिर अली निवास कर रहे हैं। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि उपयोगकर्ता विधिवत वैध कनेक्शनधारी नहीं है तो उसकी पहचान परिवादी का स्पष्टतः सुनिश्चित की जानी चाहिए होगी। प्रश्नगत प्रकरण में आरोपी सकीला वानो के नाम से लगे विद्युत कनेक्शन मीटर को किस आधार पर उपयोग कर रहा था, इस संबंध में परिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

10. साक्षी आर.एस. गौर प0सा0 1 का अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में यह भी कहना रहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि आरोपी ने उक्त मकान क़य कर लिया है, किन्तु परिवादी कम्पनी की ओर से मकान के बिक्रय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। मकान बिक्रय कर जाने के पश्चात् भी एवं वैध कनेक्शनधारी की मृत्यु के पश्चात् भी कनेक्शन क्यों काटा गया इसका भी कोई स्पष्टीकरण रिकार्ड पर नहीं है।

11. प्रकरण में परिवादी की ओर से आरोपी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है, किन्तु साक्षी ने अपने कथन में स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी ने किस प्रकार विद्युत मीटर में छेड़छाड़ की अथवा किस प्रकार और कहाँ से विद्युत कनेक्शन जोड़ा। प्रकरण में आरोपी के अभिकथित मीटर क्रमांक के उपयोग करने के संबंध में पहचान का अत्यन्त

महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। साक्षीगण का ऐसा कहना नहीं रहा है कि वह आरोपी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। प्रकरण में पहचान के संबंध में स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है। प्रकरण में विधिवत विद्युत कनेक्शन के बकाया एवं विद्युत कनेक्शन काटा जाने की सूचना प्रमाणित नहीं है।

12. प्रकरण में परिवादी की ओर से धारा 138 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है, किन्तु प्रकरण में आरोपी कनेक्शनधारी नहीं है। प्रकरण में मौके से कोई वस्तु जप्त नहीं की गई है। इस संबंध में कोई पंचनामा भी तैयार नहीं किया गया है, निरीक्षण किए गए स्थान पर आरोपी का ही कब्जा हो इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरा में आरोपी की पहचान के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। परिवादी की ओर से सकीला वानो के कनेक्शन को उपयोग करने का जो आधार लिया है उस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है।

13. अतः प्रकरण में परिवादी प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

14. परिणामतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(1)(ख) के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

15. आरोपी जमानत पर है अतः उसके जमानत मुचलके व बंधपत्र उन्मोचित किये जाते हैं।

16. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०